

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
10.5.18	<p>प्रकरण राज्य सरकार के आदेशानुसार आयोजित लोक अदालत/दोषी रखने योग्य पाया जाता है। अतः पत्रावली लोक अदालत के आयत मुख्यालय दिनांक 31.5.18 को पेश हो।</p> <p>31.5.18</p> <p>उपखण्ड अधिकारी कटूमर (अलवर)</p>
31.5.18	<p>पत्रावली लोक अदालत/कम काटें व देश हुई पक्षकार उधरिण्ड / लखार</p> <p>नहीं होने के कारण प्रकरण का निस्तारण नहीं हो सका। अतः पत्रावली दिनांक 9/6/18 को न्यायालय द्वारा पेश हो</p> <p>9/6/18</p> <p>उपखण्ड अधिकारी कटूमर (अलवर)</p>
6/6/18	<p>पत्रावली के माफ कोर्ट में केसा डूई / कमील उधरिण्ड उधरिण्ड / कमील उधरिण्ड के नाम कि पक्षकार का राजीनामा देने वाले के कारण प्रकरण को अलमगी नाले है। अतः कमील उधरिण्ड Not Present है राजीनामा दिया गया है। पत्रावली के लिए हुक्म (लेका) की जाते है अतः हुक्म</p> <p>5/6/18</p>